8/-D

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जहानाबाद।

स्वत्व अपील सं0–11/2005

निबंधन सं0–11/2005

<u>आदेश</u>

06.10.2023 अपीलकर्ता की ओर से पैरवी है। विपक्षी की ओर से कोई पैरवी नहीं है। पुकार पर अपीलकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं अुआ। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि यह अभिलेख विगत कई तिथियों से अपीलकर्ता की ओर से अपेक्षिकाएं दाखिल करने हेतु लंबित है, परंतु अपीलकर्ता की ओर से आज तक अपेक्षिकाएं दाखिल नहीं की गयी है। अपीलकर्ता की ओर से कोई समयावेदन भी दाखिल नहीं किया गया। दिनांक–07.08.2023 को अतिम मौका भी दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता को इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है। अतः ऐसी स्थिति में यह वाद आदेश–41, नियम–17 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अधीन अपीलार्थी के द्वारा व्यतिक्रम किए जाने की दशा में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

Rajesh Kumar Verma

अपर जिला न्यायाधीश–तृतीय
जहानाबाद।